न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 116 / 2024 (उदयपुर डिक्री)

श्री एकलिंगजी स्थान कैलाशपुरी, जरिये संरक्षक श्री अरविन्दसिंह जी पिता श्री भगवतसिंह जी राजपूत, निवासी राजमहल, उदयपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर श्री एकलिंग जी ट्रस्ट, सिटी पैलेस जरिये सचिव, श्री सुधीन मूथा पिता श्री लक्ष्मीनारायण जी मूथा, सिटी पैलेस, उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. भेरूलाल पिता चम्पालाल जी कुम्हार, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजेन्द्र पिता चम्पालाल जी कुम्हार, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती बसन्ती बाई पिता चम्पालाल जी कुम्हार, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. दुर्गाशंकर पिता भेरूलाल जी कुम्हार, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
6. नारायणलाल पिता भेरूलाल जी कुम्हार, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.) सभी जनरल पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर श्री सम्पत सुवालका पिता बालचन्द जी सुवालका, निवासी डी–7, बसन्त बिहार भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बड़गांव
दिनांक 13.08.2024 प्र.सं. 130 / 2022

–––/–––

उपस्थित :– 1– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पो. सं. 2 से 6
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 1

–––::–––

निर्णय दिनांक 31–12–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 6 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92–ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का [illegible]र निवेदन किया कि मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 17:59:50 IST
Reason: SelfAttested

भुवाणा, तहसील बड़गांव में साबिक आराजी नंबर 476 रकबा 12 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 750 रकबा 0.0800 हैक्अर व आराजी नंबर 751 रकबा 0.0700 हैक्टर हैं। उक्त भूमि एकलिंग जी स्थान कैलाशपुरी के शासनिक माफी की थी तथा इस भूमि के खडमदार वादीगण के पूर्व मोडा, भगा पिता डूंगा कुम्हार थे। राजस्थान में देवता की माफी दिनांक 01–07–1963 को रिज्यूम हो गयी तथा जो व्यक्ति खडमदार थे वो सब जागीर रिजम्पशन एक्ट की धारा 9 के अनुसार खातेदार काश्तकार बने गये। संवत् 2019 सन् 1963 में माफी रिज्यूम हो गयी इसलिए उक्त आराजी नंबर 476 रकबा 12 बिस्वा में एकलिंग जी स्थान कैलाश पुरी के स्थान पर हासिल लेने वाले का नाम सरकार दर्ज हो गया तथा खातेदार के कॉलम में मोडा, भगा वल्द डूंगा कुम्हार का नाम दर्ज हो गया तथा संवत् 2027 से 2030 भी खातेदार के कॉलम में मोडा, भगा वल्द डूंगा कुम्हार का नाम दर्ज है, किन्तु संवत् 2034 में सेटलमेन्ट शुरू होने से जमाबन्दी नहीं बनी तथा संवत् 2042 की जमाबन्दी में मोडा, भगा वल्द डूंगा कुम्हार के स्थान पर श्री एकलिंग जी स्थानदेह का नाम दर्ज कर दिया गया, जो बिना अधिकार होने से निरस्त योग्य है। भू–प्रबन्ध विभाग को पूर्व इन्द्राज को ही रिपीट करना चाहिए था, जबकि वादीगण माफी रिज्यूम होते ही खड़मदार के बजाय खातेदार काश्तकार बन गये तथा मौके पर उनका कब्जा अपने पूर्वजों के समय से यानि 200 वर्षो से चला आ रहा है। वादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 13 अनुसार होकर वादीगण मोड़ा व भग्गा के वारिस हैं। अतः वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त भूमि श्री एकलिंग जी की शासनिक माफी नहीं है। खुदकाश्त एवं शाश्वत अवयस्क की भूमि पर दिनांक 01–07–1963 का अध्यादेश लागू नहीं होता है एवं जागीर रिजम्पशन एक्ट की धारा 9 का लाभ भी खुदकाश्त एवं शाश्वत नाबालिग की भूमि पर लागू नहीं होता है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 17:59:50 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 5 तनकियां कायम की गयी एवं उभयपक्षों की बहस सुनकर तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय दिनांक 13–08–2024 से वादीगण का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 10–10–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए तथा लिखित बहस प्रस्तुत की जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चौहान उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि अपीलान्ट शाश्वत नाबालिग मंदिर मूर्ति के नाम वर्षो से चली आ रही है। खुदकाश्त एवं शाश्वत नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। विवादित भूमि मेवाड़ सेटलमेन्ट के समय से ही शाश्वत नाबालिग मंदिर मूर्ति श्री एकलिंग जी कैलाशपुरी के नाम मालिकाना हक से दर्ज चली आ रही है, जिस पर कब्जा भी शाश्वत नाबालिग का ही चला आ रहा है, लेकिन संवत् 2020–2022 में बिना किसी आदेश के पटवारी हल्का ने म्यूटेशन भरते समय रेस्पोन्डेन्ट का नाम दर्ज कर दिया। सन् 1975 में सेटलमेन्ट के दौरान भूमि पुनः श्री एकलिंग जी स्थान देह के नाम दर्ज हुई है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है तथा जागीर रिजम्पशन एक्ट की धारा 9 का गलत तरीके से विवेचन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण को खातेदार घोषित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। धारा 41 कानून माल मेवाड़ में शिकमी के अधिकार दिये गये हैं, जो कि खातेदार नहीं होता, मालिक नहीं होता तथा उसके किसी प्रकार के ट्रान्सफर के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 17:59:50 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे। अपने कथन में समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2004 (2) Page 1061 (Pera 6, 8), RRT 2007 (2) Page 1449 (Pera 15, 16), RRD 2013 Page 756 (Pera 28 to 35), RRT 2015 (2) Page 868 (Pera 26 to 48), RRD 1984 Page 1 (Pera 47 to 52), RRD 1984 Page 273 (Pera 4 to 7), RRD 2000 Page 62 (Pera 7 to 8) एवं प्रकरण 5 हक काश्तकारी प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि सेटलमेन्ट को पूर्व इन्द्राज को ही दोहराना होता है, बिना किसी सक्षम आदेश के इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार सेटलमेन्ट को नहीं है। प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। एकलिंग जी का नाम शिकमी के कॉलम में माफी शासनिक के रूप में दर्ज था। रेस्पोन्डेन्ट का नाम शिकमी के कॉलम में होकर आगे हि.ब.ख. अंकित है, जिसका अर्थ है खडमदार। धारा 38 खडमदार को विरासत तथा अन्य ट्रान्सफर का अधिकार प्राप्त है। आर.आर.डी. 1995 पेज 191 अनुसार मूर्ति यह खुदकाश्त है तो ही भूमि मूर्ति के खाते रहेगी, इस प्रकरण में मूर्ति खुदकाश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियां कायम कर प्रत्येक तनकी का विवेचन साक्ष्य सबूतों के आधार पर करते हुए वादीगण के जिम्मे की तनकियां वादीगण द्वारा साबित कराये जाने के कारण वादीगण के पक्ष में निर्णित करते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे। अपने कथन में समर्थन में न्यायिक नजीरें RRD 2000 Page 570, RRD 1995 Page 191, RRD1985 Page 285, RRD 1991 Page 6, RLW 2001 Page 600, RRD 1998 Page 261, RBJ 1996 Page 8, RRD 2003 Page 175, RRT 2001 Page 596, RRD 1985 Page 342, RBJ 2001 Page 170, RBJ 2002 Page 332, 334, RBJ 2006 Page 170, भैरूलाल बनाम देवस्थान व अन्य तथा राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 24–05–2007 एवं 11–06–2020 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। प्रदेश 1 जमाबन्दी महकमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 17:59:50 IST
Reason: SelfAttested

बन्दोबस्त राज्य मेवाड़ में विवादित आराजी नंबर 476 रकबा 12 बिस्वा भूमि एकलिंग जी स्थान कैलाशपुरी के नाम दर्ज होकर शिकमी के कॉलम में वादीगण के पूर्वज मोडा, भगा वल्द डूंगा कुम्हार हि.ब.ख. अंकित है अर्थात खडमदार अंकित है तथा कैफियम में माफी शासनिक अंकित है। प्रदर्श 2 व 3 खसरा महकमा बन्दोबस्त राज्य मेवाड़ में भी वादीगण के पूर्वाधिकारी मोडा, भगा वल्द डूंगा कुम्हार हि.ब.ख. का अंकन है। प्रदर्श 4 जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022, प्रदर्श 5 जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 तथा प्रदर्श 6 जमाबन्दी संवत् 2027 से 2030 में वादीगण के पूर्वाधिकारी मोडा, भगा वल्द डूंगा कुम्हार का नाम कृषक के कॉलम में अंकित है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 7 अनुसार साबिक आराजी नंबर 476 से हाल आराजी नंबर 750 व 751 बनना स्पष्ट है। प्रदर्श 8 खसरा पत्रक भू–प्रबन्ध विभाग में हाल आराजी नंबर 750 व 751 में नाम कृषक के कॉलम में वादीगण के पूर्वाधिकारी का नाम दर्ज है। जबकि जमाबन्दी संवत् 2042 में उक्त हाल आराजी नंबर 750 व 751 श्री एकलिंग कैलाशपुरी स्थान के नाम दर्ज है तथा इसके बाद की जमाबन्दियों में भी इसी प्रकार का इन्द्राज है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों का तनकीवार विवेचन करते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया है, जो अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक नजीरों की रोशनी में प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपीलान्ट अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 13–08–2024 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 31–12–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 17:59:50 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**.............
व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** ....

श्री एकलिंगजी स्थान कैलाशपुरी जरिये संरक्षक श्री अरविन्दसिंह पिता श्री भगवतसिंहजी राजपूत नि. राजमहल, उदयपुर श्री एकलिंगनाथजी ट्रस्ट सिटी पैलेस जरिये सचिव श्री सुधीर मूथा पिता श्री लक्ष्मीनारायण मूथा, सिटी पैलेस, उदयपुर।

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....**116/2024**........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.........
.........**बड़गांव**......... मुकाम................मुवर्खे.............**13**...........माह........**08**.................**2024**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.......**31**.....माह.......**12**.......सन् **2024** रूबरू.......**पक्षकारान**
व हाजरी.......**श्री नरपतसिंह चौहान**.........मिनजानिब अपीलान्ट व............**श्री संजय बोहरा**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपीलान्ट अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 13—08—2024 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**31**........माह........**12**........**2024**
को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 17:59:50 IST
Reason: SelfAttested